न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 127/2022 राजस्व अपील

1. विजेन्द्र पुत्र सुरज्या
2. काली पुत्री सुरज्या
   समस्त जाति नायक(भोपा) निवासी राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

<u>अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 16.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम विजेन्द्र आदि, प्रकरण सं. 50/2018 अ. धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट</u>

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 24.06.2024

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम राणोली की भूमि खसरा नम्बर 157/689 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को बिना सुने ही एकतरफा में निर्णय दिनांक 16.08.2018 पारित कर अपीलान्ट्स को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला न ही अपीलान्ट की असालतन तामील ही हुई है। बिना तामील हुए ही इकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट अत्यन्त गरीब ग्रामीण काश्तकार व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 में से 90 दिन के सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स नें संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 157/689 रकबा 0.04 है0 किस्म चरागाह पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को नोटिस जारी किये जाकर अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 16.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा सम्वत 2074 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का द्वारा व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है, किन्तु अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा सम्वत 2074 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एवं सम्वत 2075 में आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 16.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण संख्या 50/2018 सरकार बनाम विजेन्द्र आदि में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार बहरावण्डा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2018 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा के खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:06 IST
Reason: SelfAttested